2025:CGHC:54141–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 143/2025

जवाहर चंद्रा पिता समरू राम चंद्रा, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी चोरभट्ठी, थाना जैजैपुर, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

...अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, थाना – जैजैपुर, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री हरि अग्रवाल, अधिवक्ता
राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति

माननीय श्री बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

द्वारा, मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा

06.11.2025

1. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरि अग्रवाल को सुना। साथ ही राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर को भी सुना।

2. यह दाण्डिक अपील अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षिप्त में 'द.प्र.सं.') की धारा 374(2) के अधीन विद्वान विशेष न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.), सक्ती, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा विशेष सत्र प्रकरण (पॉक्सो) क्रमांक 23/2022 में दिनांक 21.11.2024 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षिप्त में 'भा.द.सं.') की धारा 302 और 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और उसे आजीवन कारावास तथा 5,000/– रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि के संदाय में व्यतिक्रम पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास, तथा तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 2,000/– रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि के संदाय में व्यतिक्रम पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है, और यह निर्देशित किया गया है कि दोनों सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

3. अभियोजन का प्रकरण, संक्षिप्त में, निम्नुसार है:अपीलार्थी/अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.द.सं.') की धारा 363, 364, 376(3), 201 और 302 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 4 और 6 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप यह था कि दिनांक 28.02.2022 और 01.03.2022 की मध्यरात्रि, रात 22:00 बजे से 01:00 बजे के बीच, ग्राम XX में, जो थाना जैजैपुर के अधिकारिता में आता है, उसने मृतका, अवयस्क पीड़िता, जो कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका थी, को उसके संरक्षक की विधिक संरक्षकता से बिना उसकी सम्मति के बहला–फुसलाकर और उसकी हत्या करने के आशय से अपहरण किया। यह आगे आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने मृतका अवयस्क पीड़िता, जिसकी आयु 16 वर्ष से कम थी, के साथ बलात्संग किया। अभियोजन के अनुसार, यह जानने और विश्वास करने का कारण होने के बाद कि अवयस्क पीड़िता की मृत्यु उसके द्वारा किए गए कृत्यों के परिणामस्वरूप हुई थी, अभियुक्त ने आपराधिक दायित्व से बचने के उद्देश्य से मृतका को कीटनाशक पिला दिया। साक्ष्य नष्ट करने के लिए, उसने कथित तौर पर कीटनाशक की बोतल को घटनास्थल के पास के तालाब में फेंक दिया, मृतका द्वारा पहनी गई लेगिंग्स की जेब में एक कथित सुसाइड नोट रख दिया, और उसके बाद शव को डबरी तालाब में फेंककर ठिकाने लगा दिया। अभियुक्त ने अवयस्क पीड़िता की मृत्यु कारित करने के पूर्ण आशय से, पहले उसे कीटनाशक पिलाया और उसके बाद उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए उसका गला घोंट दिया। अभियोजन ने आगे आरोप लगाया कि 16 वर्ष से कम आयु की मृतका अवयस्क बालिका की योनि, मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में अपने लिंग को किसी भी सीमा तक प्रवेश कराकर, अभियुक्त ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अर्थ की परिधि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया, और इस प्रकार अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय प्रवेशन लैंगिक हमला भी कारित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. चूंकि प्रकरण पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराध से संबंधित है, इसलिए विचारण न्यायालय पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(7) और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228क के अधिदेश के साथ–साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हिमाचल प्रदेश राज्य विरुद्ध श्रीकांत शिकारी, (2004) 8 एससीसी 153,** और **निपुण सक्सेना विरुद्ध भारत संघ, (2019) 2 एससीसी 703** के प्रकरणों में जारी न्यायिक निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य था। उपरोक्त वैधानिक और न्यायिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत, उन सभी विवरणों को रोक दिया गया है जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृतका अवयस्क पीड़िता की पहचान उजागर हो सकती है। तदनुसार, मृतका अवयस्क बालिका का नाम, पता, माता–पिता का नाम, शाला का नाम, पारिवारिक विवरण, नातेदार, पड़ोसी और किसी भी अन्य पहचान संबंधी विवरण को प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार, मृतका अवयस्क बालिका के गाँव के नाम को "XX" पढ़ा गया है, जिस शाला में वह अध्ययन कर रही थी उसका नाम "XXXXX" के रूप में दर्ज किया गया है, और उसके द्वारा जिस विद्यालय की कक्षा में अध्ययन किया गया था उसका नाम "XXXXX" पढ़ा गया है।

5. इसके अतिरिक्त, अभियोजन का प्रकरण यह है कि मृतका के पिता (अभियोजन साक्षी–1) ने जैजैपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ग्राम 'XX' में रहते हैं। उनकी चार पुत्रियाँ और एक पुत्र था, और मृतका उनकी चौथी पुत्री थी, जिसकी जन्म तिथि 01.08.2009 थी। वह 12 वर्ष और 7 माह की थी और शाला 'XXXX' में कक्षा 9 वीं में अध्ययन कर रही थी। दिनांक 28.02.2022 को रात लगभग 10:00 बजे रात के भोजन करने के उपरांत, वह और उनकी पत्नी बाहर छप्पर के नीचे सो गए। जब वे रात करीब 1:00 बजे उठे, तो उन्होंने पाया कि उनकी पुत्री गायब थी। अगले दिन, उन्होंने पड़ोस और पास के गांवों में नातेदारों और दोस्तों के घरों पर पूछताछ की, किंतु उसका कुछ पता नहीं चल सका। कथित तौर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अवयस्क बालिका को बहला–फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया था, और यदि वह स्वतंत्र होती, तो निश्चित रूप से घर लौट आती। इस रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अधीन अपराध क्रमांक 37/2022 (प्रदर्श पी–1) पंजीबद्ध किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई।

6. विवेचना के दौरान, दिनांक 03.03.2022 को मृतका का शव ग्राम 'XX' के एक तालाब में मिला। इसके अनुरूप मर्ग सूचना क्रमांक 6/2022 (प्रदर्श पी–2) दर्ज की गई और पंचनामा तैयार किया गया। शवपरीक्षण प्रतिवेदन में मृत्यु प्रकृति में मानव वध अभिमत दिए जाने के पश्चात, प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 जोड़ी गई। ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों के कथनों से यह संदेह प्रकट हुआ कि अभियुक्त ने बालिका का अपहरण और हत्या की थी। अभियुक्त का मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी–14) दर्ज किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि मृतका और अभियुक्त के मध्य लगभग आठ माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों को प्रायः मिलते और बात करते देखा जाता था, और अभियुक्त ने मृतका को एक सैमसंग मोबाइल फोन उपहार में दिया था, जिसे बाद में उसकी माँ ने ज़ब्त कर लिया था। जब मृतका ने कथित तौर पर यह व्यक्त किया कि वह उसके बिना नहीं रह सकती और मर जाएगी, तो अभियुक्त ने दिनाँक 28.02.2022 को उसे अपने घर बुलाया जब वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसने कथित तौर पर उसकी हत्या करने का षडयंत्र रचा और उससे सुसाइड नोट लिखने को कहा, और उससे कहा कि वे दोनों भाग जाएंगे और आत्महत्या कर लेंगे।

8. दिनांक 28.02.2022 की रात लगभग 1:00 बजे, अभियुक्त पीड़िता के घर के पीछे इंतज़ार कर रहा था। जब वह बाहर आई, तो उसने उसे अपनी हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल (CG–11–AA–2343) पर बिठाया और डबरी तालाब के पास ले गया। वहाँ, जब उसने योजना के अनुसार चलने से इनकार कर दिया, तो उसने कथित तौर पर उसे बीयर की बोतल में मिला हुआ कीटनाशक पिलाया और बाद में उसके साथ बलपूर्वक बलात्संग किया। उसने झूठे साक्ष्य गढ़ने के लिए अवयस्क बालिका के नाम से लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी अपने पास रखा। पकड़े जाने के डर से, वह उसके सीने पर चढ़

गया, उसका गला घोंट दिया, पुलिस को गुमराह करने के लिए उसकी लेगिंग्स की जेब में सुसाइड नोट रख दिया, उसके शव को तालाब में फेंक दिया और अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गया।

9. विवेचना के दौरान, अभियुक्त से हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल (CG-11-AA-2343) और उसका आरसी स्मार्ट कार्ड ज़ब्त किया गया और जब्ती मेमो (प्रदर्श पी-15) तैयार किया गया। सैमसंग मोबाइल की रसीद को प्रदर्श पी-16 के माध्यम से ज़ब्त किया गया। मृतका का एक सैमसंग मोबाइल उसकी माँ से प्रदर्श पी-11 के माध्यम से ज़ब्त किया गया। मृतका की तीन कॉपियाँ अ.सा.-1 से प्रदर्श पी-12 के माध्यम से ज़ब्त की गई। एक 32 जीबी का सैनडिस्क पेन ड्राइव अ.सा.-3 से प्रदर्श पी-17 के माध्यम से ज़ब्त किया गया। मृतका की हिंदी और अंग्रेजी की उत्तर-पुस्तिकाएं शाला 'XXXX' के प्राचार्य से प्रदर्श पी-18 के माध्यम से ज़ब्त की गईं। मृतका द्वारा पहले अध्ययन शाला का दाखिल खारिज पंजी प्रदर्श पी-32 के माध्यम से ज़ब्त किया गया। घटनास्थल पर उसकी लेगिंग्स की जेब से एक लाइन वाले पन्ने पर लिखा सुसाइड नोट प्रदर्श पी-10 के माध्यम से ज़ब्त किया गया।

10. कीटनाशक (एल्युमीनियम फॉस्फाइड 56%) युक्त एक काले रंग की प्लास्टिक का पाउच, जिस पर "पाइजन" अंकित था, ज़ब्त की गई और फ्रोजन शीट प्रदर्श पी-47 तैयार की गई। घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-5 और पी-6 तथा एक अन्य नजरी नक्शा प्रदर्श पी-7 तैयार किए गए। शव बरामदगी का पंचनामा (प्रदर्श पी-8) भी तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 364, 376, 302, 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अधीन अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 364, 376(3), 201, 302 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 एवं 4 के अधीन आरोप विरचित किए गए और अभियुक्त को पढ़कर सुनाए गए। उसने आरोपों से इनकार किया और विचारण चाहा।

12. जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण किया गया, तो उसने कथन किया कि मृतका के साथ उसकी कोई शत्रुता नहीं थी और पुलिस ने वास्तविक अपराधी का पता लगाने में असफल रहने पर, दस्तावेज़ों को गढ़कर उसे झूठा फँसाया है। उसने बचाव में लीला बाई चंद्रा (बचाव साक्षी-1) और समरूराम चंद्रा (बचाव साक्षी-2) का परीक्षण कराया और साथ ही 14 दस्तावेज़ों को प्रदर्श डी-1 से प्रदर्श डी-14 के रूप में प्रदर्शित किया।

13. अपने प्रकरण को साबित करने के लिए, अभियोजन ने कुल 41 साक्षियों का परीक्षण कराया, जिनके नाम हैं: अ.सा.-1 (पीड़िता के पिता), अ.सा.-2 पार्ले चंद्रा, अ.सा.-3 सोनू चंद्रा, अ.सा.-4 (पीड़िता की बहन), अ.सा.-5 अवधराम चंद्रा, अ.सा.-6 (पीड़िता की माँ), अ.सा.-7 (पीड़िता की बहन), अ.सा.-8 (पीड़िता के जीजा), अ.सा.-9 पंचराम चंद्रा, अ.सा.-10 दीपक कुमार साहू, अ.सा.-11 संतोष कुमार चंद्रा, अ.सा.-12 उपेन्द्र कुमार चंद्रा, अ.सा.-13 पीड़िता के प्रथम विद्यालय के प्राचार्य, अ.सा.-14 पीड़िता के प्रथम विद्यालय के शिक्षक, अ.सा.-15 उज़ैन चंद्रा, अ.सा.-16 माइकल साहू,

अ.सा.–17 अर्जुन लाल चंद्रा, अ.सा.–18 अजय कुमार चंद्रा, अ.सा.–19 ज्ञानबाई टंडन, अ.सा.–20 भुवन लाल चंद्रा, अ.सा.–21 बबिता चंद्रा, अ.सा.–22 परसराम जाटवार, अ.सा.–23 विकेश कुमार साहू, अ.सा.–24 जयराम सिदार, अ.सा.–25 गोपेश्वर सिंह नेताम, अ.सा.–26 लक्ष्मीकांत कोरी, अ.सा.–27 डॉ. बलराम कुमार रोहिदास, अ.सा.–28 मथुरा प्रसाद मन्नेवार, अ.सा.–29 सुरेश कुमार, अ.सा.–30 डॉ. किरण बिंझवार, अ.सा.–31 मनीराम कश्यप, अ.सा.–32 डॉ. पी. सिंह, अ.सा.–33 निशा चंद्रा, अ.सा.–34 निर्मल प्रसाद कर्ष, अ.सा.–35 गोपाला कुमार भैना, अ.सा.–36 वीरेंद्र सिंह, अ.सा.–37 अजय सिंह खैरवार, अ.सा.–38 अमृत बाई, अ.सा.–39 राजेश्वर प्रसाद, अ.सा.–40 देवनारायण चंदा और अ.सा.–41 गोपाल सतपथी। साथ ही 87 दस्तावेज़ों को प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–87 के रूप में प्रदर्शित किया गया।

14. विचारण न्यायालय ने विचारण संपन्न होने के उपरांत और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना करने के पश्चात, दिनांक 21.11.2024 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी–अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 364 और 376(3) के साथ–साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया, और उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया तथा इस निर्णय के द्वितीय कण्डिका में वर्णित अनुसार उसे दण्डित किया, जिसके विरुद्ध उसने आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन यह अपील प्रस्तुत की है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरि अग्रवाल का यह तर्क है कि अपीलार्थी की पूरी दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, और कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी न होने के कारण, अभियोजन पर परिस्थितियों की एक पूर्ण, अकाट्य और अटूट श्रृंखला स्थापित करने का कठोर विधिक दायित्व था, जो अचूक रूप से अपीलार्थी के दोष की ओर संकेत करती हो। यद्यपि, वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन इस भार का निर्वहन करने में पूर्णतया असफल रहा है, क्योंकि परिस्थितियों की श्रृंखला अपूर्ण, अनिश्चायक है और अपीलार्थी के दोष के अतिरिक्त किसी भी अन्य परिकल्पना की संभावना को खारिज नहीं करती है।

16. श्री अग्रवाल द्वारा आगे यह तर्क किया गया है कि दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलिखित करते समय, विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के केवल उन हिस्सों पर चुनिंदा रूप से अवलंब लिया है जो अपीलार्थी के प्रतिकूल प्रतीत होते थे, जबकि उन महत्वपूर्ण और आवश्यक साक्ष्यों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जो उसके पक्ष में थे और जो अभियोजन की कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न करते थे। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि यद्यपि अपीलार्थी के दो मेमोरेंडम कथन, जिन्हें प्रदर्श पी–14 और प्रदर्श पी–48 के रूप में अंकित किया गया है, दर्ज किए गए थे, किंतु पहले मेमोरेंडम के आधार पर की गई जब्ती की कार्यवाही भी पूर्णतः अविश्वसनीय है, क्योंकि जब्ती का साक्षी अ.सा.–2, जिसे मोटरसाइकिल और मोबाइल बिल की बरामदगी के समर्थन में उद्धृत किया गया था, पक्षद्रोही हो गया है।

17. श्री अग्रवाल द्वारा यह तर्क किया गया है कि विवेचना अधिकारी उभरते हुए चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की दिशा बदलते रहे। प्रारंभ में, जब संक्षिप्त शवपरीक्षण प्रतिवेदन में श्वासावरोध और चोट का संकेत मिला, तो अभियोजन ने अपीलार्थी द्वारा गला घोंटने और हमले का प्रकरण बनाने का प्रयत्न किया; यद्यपि, जब एफएसएल रिपोर्ट में विसरा में विष की मौजूदगी दिखाई दी, तो अचानक एक दूसरा मेमोरेंडम दर्ज किया गया (इस बार जब अपीलार्थी पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में था) ताकि विष देने का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया जा सके और कीटनाशक की बोतल की बरामदगी दिखाई जा सके। उक्त बरामदगी भी अविश्वसनीय है क्योंकि जब्ती के साक्षी परसराम जाटवार (अ.सा.–22) और मनीराम कश्यप (अ.सा.–31) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और वे पक्षद्रोही हो गए हैं।

18. श्री अग्रवाल ने आगे तर्क दिया कि बचाव पक्ष की साक्षी लीला बाई चंद्रा (DW–1) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह कथित तलाशी के समय घर पर मौजूद नहीं थी और वास्तव में अपने पोते को देखने जैजैपुर और जांजगीर अस्पताल गई थी। उसने अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेज़ भी पेश किए हैं और कहा है कि कथित तलाशी से पहले पुलिस द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यद्यपि, विद्वान विचारण न्यायालय इस महत्वपूर्ण बचाव साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहा है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन की नींव ही इस तथ्य से हिल गई है कि अपीलार्थी के दो परस्पर विरोधी मेमोरेंडम कथन अलग–अलग चरणों में दर्ज किए गए थे, और अभियोजन ने इस तरह के तात्विक विरोधाभासों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। विधि में, अभियुक्त के विरोधाभासी कथन दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकते जब तक कि अभियोजन विसंगतियों को स्पष्ट न कर दे, जो कि वर्तमान प्रकरण में नहीं किया गया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. श्री अग्रवाल द्वारा यह तर्क किया गया है कि शवपरीक्षण प्रतिवेदन में मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण श्वासावरोध बताया गया है, जबकि एफएसएल रिपोर्ट विसरा में कीटनाशक की मौजूदगी प्रकट करती है। यहाँ तक कि शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक अ.सा.–30 ने भी विसरा में कथित रूप से पाए गए विष के प्रभाव को स्पष्ट नहीं किया है। इस प्रकार, मृत्यु गला घोंटने से हुई या विष के सेवन से, इस पर एक मौलिक विरोधाभास मौजूद है, जो संपूर्ण अभियोजन के संस्करण पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

20. श्री अग्रवाल यह भी तर्क देते हैं कि विवेचना अधिकारी ने स्थापित विधिक प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से कार्य किया, और इस प्रकार से विवेचना संचालित की कि वह अपीलार्थी के प्रति प्रतिकूल रही। विशेष रूप से, अपीलार्थी का दूसरा मेमोरेंडम, जो तब दर्ज किया गया जब वह न्यायिक हिरासत में था, द.प्र.सं. की धारा 162 से बाधित है, जो विवेचना के दौरान पुलिस अधिकारी को दिए गए ऐसे कथनों को ठोस साक्ष्य के रूप में उपयोग करने से प्रतिबंधित करती है। परिणामस्वरूप, ऐसे अस्वीकार्य मेमोरेंडम के अनुसरण में कथित तौर पर की गई कोई भी जब्ती अपना साक्ष्यिक मूल्य खो देती है और अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए उसका अवलंब नही लिया जा सकता। यह तर्क किया

गया है कि विवेचना अधिकारी का आचरण, विरोधाभासी चिकित्सीय साक्ष्य, महत्वपूर्ण साक्ष्यों का पक्षद्रोही होना, और परिस्थितियों की एक सुसंगत एवं विश्वसनीय श्रृंखला स्थापित करने में अभियोजन की असफलता, संचयी रूप से अभियोजन के प्रकरण को पूरी तरह से संदेहास्पद बनाते हैं। अतः, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थी के दोष को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे स्थापित करने के लिए न तो गुणात्मक रूप से और न ही मात्रात्मक रूप से पर्याप्त हैं, और इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि विधि में असंधारणीय है। इस प्रकार, अपील स्वीकार की जाए और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

21. अपनी तर्कों को पुष्ट करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गुजरात राज्य विरुद्ध रतनसिंह उर्फ चिनुभाई अनोपसिंह चौहान,** (2014) 4 **एससीसी** 16 और **विनोद कुमार विरुद्ध राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार),** (2025) 3 **एससीसी** 680 के प्रकरणों में पारित निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

22. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया तथा तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की उचित विवेचना करने के उपरांत आक्षेपित निर्णय पारित किया है और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में कोई विकृति या अवैधता नहीं है। यह तर्क किया गया है कि आरोपित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं, जिनमें व्यपहरण, 16 वर्ष से कम आयु की अवयस्क बालिका के साथ बार–बार लैंगिक उत्पीड़न और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या शामिल है, और अभियोजन परिस्थितियों की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला स्थापित करने में सफल रहा है जो अचूक रूप से अपीलार्थी के दोष की ओर संकेत करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. श्री ठाकुर ने आगे यह तर्क किया कि भले ही घटना का कोई प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, फिर भी अभियोजन का प्रकरण सुसंगत और संपुष्टिकारी परिस्थितियों के साक्ष्यों की एक श्रृंखला द्वारा दृढ़ता से समर्थित है, जिसका विचारण न्यायालय ने सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है। यह तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा सिद्ध की गई परिस्थितियाँ, जैसे कि अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य, अपीलार्थी का आचरण, अपीलार्थी के मेमोरेंडम के अनुसरण में मृतका की वस्तुओं की बरामदगी, चिकित्सीय साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट और आसपास की परिस्थितियाँ एक निरंतर और अटूट श्रृंखला बनाती हैं, जो केवल इसी परिकल्पना की ओर ले जाती हैं कि वह अपीलार्थी ही था जिसने अपराध कारित किया था।

24. श्री ठाकुर द्वारा आगे यह तर्क किया गया है कि दो मेमोरेंडम कथन दर्ज किए जाने के संबंध में अपीलार्थी का तर्क गलत है। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने तर्क किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन, जब भी कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है, अभियुक्त आगे और प्रकट कर सकता है, और बरामदगी की ओर ले जाने वाला ऐसा प्रकटीकरण स्वीकार्य है। दूसरा मेमोरेंडम (प्रदर्श पी–48), यद्यपि तब दर्ज किया गया था जब अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में था, सम्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत दर्ज किया गया था, और कीटनाशक की बोतल की बरामदगी साक्ष्य की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी

है। केवल इस तथ्य से कि साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं, बरामदगी अवैध नहीं हो जाती, क्योंकि विवेचना अधिकारी ने जब्ती का पूरी तरह से समर्थन किया है और उनका साक्ष्य अखंडित रहा है।

25. श्री ठाकुर द्वारा आगे यह तर्क किया गया है कि मृत्यु के कारण के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कथित विरोधाभास निराधार हैं। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि शवपरीक्षण में गला घोंटने के कारण श्वासावरोध का संकेत दिया गया था, जबकि एफएसएल रिपोर्ट में कीटनाशक की मौजूदगी प्रकट हुई थी। ऐसे संयुक्त निष्कर्ष अभियोजन के इस संस्करण का समर्थन करते हैं कि मृतका को न केवल विष दिया गया था, बल्कि उसके साथ हिंसा और गला घोंटने की घटना भी हुई थी, और हमले का तरीका पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के आरोप की पूरी तरह से संपुष्टि करता है। चिकित्सीय साक्ष्य, संदेह उत्पन्न करने के बजाय, वास्तव में अभियोजन के प्रकरण को मजबूत करते हैं।

26. पक्षपातपूर्ण या दोषपूर्ण विवेचना के आरोप का खंडन करते हुए, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि यदि विवेचना में मामूली कमियाँ हैं भी, तो उन्हें अन्यथा विश्वसनीय साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि ऐसी खामियाँ प्रकरण की जड़ तक न जाती हों या अभियुक्त के प्रति गंभीर प्रतिकूलता उत्पन्न न करती हों। वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन साक्षियों, वैज्ञानिक साक्ष्यों, चिकित्सीय साक्ष्यों और अपीलार्थी के आचरण ने सामूहिक रूप से अपीलार्थी के दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. श्री ठाकुर ने आगे यह तर्क किया कि साक्षियों का पक्षद्रोही होना अभियोजन के प्रकरण को ध्वस्त नहीं करता है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य पर उस सीमा तक अवलंब लिया जा सकता है जहाँ तक वह अभियोजन का समर्थन करता है, और अभियोजन केवल इस कारण विफल होने के लिए बाध्य नहीं है कि कुछ साक्षियों ने उसका समर्थन नहीं किया। अतः यह तर्क किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन उचित रुप से दोषसिद्ध किया है और इस प्रकार, वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

28. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को अत्यंत सावधानी एवं विस्तारपूर्वक सुना है और उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है। हमने विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों का भी परिशीलन किया है, जिनमें अभियोग–पत्र, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, अभियोजन साक्षियों (अ.सा.–1 से अ.सा.–41) के कथन, बचाव पक्ष के साक्षियों के कथन, द.प्र.सं. की धारा 164/162 के अधीन दर्ज मेमोरेंडम (प्रदर्श पी–14 और पी–48), सभी जब्ती और पंचनामा अभिलेख (प्रदर्श पी–8, पी–10, पी–15, पी–16, पी–17, पी–47 और अन्य), शवपरीक्षण प्रतिवेदन और संबंधित चिकित्सा–विधिक साक्ष्य, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन, स्थल/घटनास्थल का नक्शा एवं मौका निरीक्षण नोट (प्रदर्श पी–5 से पी–7), बरामदगी की कार्यवाही के अभिलेख, और विचारण के

दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण सामग्री शामिल है। हमने अपील के आधारों और उभय पक्षकार के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर भी विचार किया है।

29. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की विवेचना करने हेतु, हमें अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करना होगा।

30. विचारार्थ प्रथम प्रश्न यह था कि क्या विचारण न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित था कि मृतका की मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी।

31. विचारण न्यायालय ने डॉ. किरण बिंजवार (अ.सा.–30), जिन्होंने शव परीक्षण किया और शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी.–4) तैयार किया,के साक्ष्य का अवलंब लेते हुए यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि मृत्यु का कारण गला घोंटने से होने वाला श्वासावरोध था और मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी। डॉ. पी. सिंह (अ.सा.–32), जिन्होंने शव परीक्षण में भाग लिया था, ने संक्षिप्त शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी.–63) में दर्ज इस अभिमत की संपुष्टि की कि मृत्यु दम घुटने/गला घोंटने के कारण हुई प्रतीत होती है और मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी। ये चिकित्सा साक्षी, स्वतंत्र होने के नाते और किसी भी पक्ष के साथ कोई स्पष्ट हित या शत्रुता न रखते हुए, एक विशेषज्ञ अभिमत देते हैं जिसे स्वीकार करने का अधिकार विचारण न्यायालय को तब तक था, जब तक कि इसे अंतर्निहित रूप से असंभाव्य या अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्री के साथ प्रत्यक्षतः असंगत न दर्शाया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. शवपरीक्षण प्रतिवेदन जैसे कि (प्र.पी.–4) और डॉ. किरण बिंजवार (अ.सा.–30) तथा डॉ. पी. सिंह (अ.सा.–32) के साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक और समग्र पठन से यह स्पष्ट है कि मृतका के शरीर पर मृत्यु–पूर्व हिंसा के अनुरूप कई चोटें और आंतरिक परिवर्तन मौजूद थे। शवपरीक्षण से चेहरे, होंठों और जीभ पर सूजन, नथुनों में रक्त के थक्के, ग्रसनी और ग्रासनली में संकुलन ,प्लैटिस्मा में रक्त के थक्के, मस्तिष्क के ऊतकों में नीलांगूर, डायाफ्राम और फेफड़ों में संकुलन, तथा कंठनली और श्वासनली के अस्थि–भंग का पता चला। प्लैटिस्मा में रक्त के थक्कों की उपस्थिति और लैरिंजियल संरचनाओं में नील/अस्थि–भंग ऐसे क्लासिकल लक्षण जो गर्दन को हाथों से दबाने से जुड़े हो सकते हैं और ये प्राकृतिक मृत्यु या केवल मरणोपरांत विरूपण के निष्कर्ष के साथ भौतिक रूप से असंगत हैं। इसके अतिरिक्त, जननांगों की चोटें योनिमुख की सूजन, योनि का फटना और रक्त के थक्कों की उपस्थिति मृत्यु से पूर्व बलपूर्वक लैंगिक संभोग की ओर इंगित करती हैं और हिंसक हमले के अभियोजन के प्रकरण की संपुष्टि करती हैं।

33. हमारे समक्ष यह तर्क किया गया कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन में मृतक के विसरा में कीटनाशक की उपस्थिति का संकेत दिया गया था और इस तरह का निष्कर्ष एक उचित संभावना उत्पन्न करता है कि मृत्यु गला घोंटने के बजाय विष देने के कारण हुई होगी। इस तर्क को विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया। शरीर में विष पाए जाने का निष्कर्ष और मृत्यु–पूर्व यांत्रिक श्वासावरोध की घटना, ये दोनों परस्पर अनन्य हों, ऐसा न तो आवश्यक है और न ही अपरिहार्य। चिकित्सीय साक्ष्य, जैसा कि प्र.पी.–4

में दर्ज है और डॉ. किरण बिंजवार (अ.सा.–30) तथा डॉ. पी. सिंह (अ.सा.–32) द्वारा स्पष्ट किया गया है, उसमें लैरिंजियल अस्थिभंग, प्लैटिस्मा में रक्त के थक्के, बाह्य नीलांगूर जैसे लक्षण पाए गए, जो गर्दन पर दबाव से हुई चोट के विशिष्ट संकेत हैं। वे विशिष्ट चिकित्सीय–विधिक संकेत केवल मरणोपरांत जल में डूबे रहने या मात्र विष की उपस्थिति से संतोषजनक रूप से समझाए नहीं जा सकते। अतः, भले ही विसरा में विष पाया गया हो, तथापि समस्त रोगात्मक लक्षण स्पष्ट रूप से मृत्यु–पूर्व हिंसक कारण, अर्थात् गला घोंटने के कारण होने वाले श्वासावरोध की ओर इंगित करते है।

34. बचाव पक्ष ने शव परीक्षण प्रक्रिया की कुछ सीमाओं और चिकित्सा साक्ष्यों में हुई लोप की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया उदाहरण के लिए, डॉ. किरण बिंजवार (अ.सा.–30) और डॉ. पी. सिंह (अ.सा.–32) द्वारा धब्बों का रक्त–समूह परीक्षण और अंतःवस्त्र के धब्बों का अलग से डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था, और दस्तावेजी रिपोर्ट के कुछ हिस्से उनकी हस्तलिपि में नहीं थे। डॉ. पी. सिंह (अ.सा.–32) के प्रतिपरीक्षण से निकलकर आई ये बातें, मुख्य निष्कर्षों को कमजोर नहीं करती हैं। सहायक प्रयोगशाला परीक्षणों की अनुपस्थिति उन चिकित्सीय–विधिक निष्कर्षों को कमतर नहीं करती है जो प्रत्यक्ष शारीरिक टिप्पणियों और मान्यता प्राप्त फॉरेंसिक संकेतों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. पी. सिंह (अ.सा.–32) ने शव के संरक्षण की स्थिति (3–4 दिनों तक पानी में डूबे रहना) को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और डूबने के बाद होने वाले संभावित परिवर्तनों (जैसे जननांगों की सूजन) के बारे में बताया, जिससे शवपरीक्षण की सीमाओं के प्रति उनकी जागरूकता प्रदर्शित होती है; लेकिन डूबने के उन प्रभावों को ध्यान में रखने के बाद भी, गर्दन को हाथों से दबाने के विशिष्ट लक्षण और आंतरिक नीलांगूर केवल मानव वध की हिंसा द्वारा ही स्पष्ट किए जा सकते थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. आगे यह तर्क किया गया कि शव परीक्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और कुछ कार्य (जैसे कि गुप्तांगों के बाल काटना) गैर–चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा किए गए थे, जिससे संदूषण या प्रक्रियात्मक अनुचितता की संभावना उत्पन्न हुई। भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि कुछ सतही प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ हुई होंगी, फिर भी ऐसा कोई तथ्य या सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि शव परीक्षण के निष्कर्ष गढ़े गए थे या लैरिंजियल अस्थिभंग, प्लैटिस्मा में रक्त के थक्के, मस्तिष्क के नीलांगूर और जननांगों की चोटों के मुख्य अवलोकन किसी मिलीभगत का परिणाम थे। साक्षियों का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया और उनके साक्ष्य आवश्यक बिंदुओं पर आंतरिक रूप से सुसंगत पाए गए। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि चिकित्सा अधिकारियों को मिथ्या साक्ष्य देने हेतु प्रेरित किया गया था या उनका अभिमत किसी दबाव में दिया गया था।

36. बचाव पक्ष ने इस संभावना का भी अवलंब लिया कि कुछ बाह्य परिवर्तनों को लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। यह सत्य है कि पानी में डूबे रहने से मरणोपरांत परिवर्तन और सूजन आ सकती है; यद्यपि, लैरिंजियल की उपास्थि में अस्थिभंग और प्लैटिस्मा रक्तस्राव मृत्यु–पूर्व के निष्कर्ष हैं, जो गर्दन पर प्रयुक्त यांत्रिक बल के सूचक हैं। ऐसे निष्कर्षों को मरणोपरांत जल में

डूबे रहने के कारण नहीं माना जा सकता है और इसलिए ये ठोस रूप से मानव वध जनित श्वासावरोध के निष्कर्ष का समर्थन करते हैं।

37. तदनुसार, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि विचारण न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने में न्यायोचित था कि मृतका की मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की अभिपुष्टि की जाती है।

38. विचारार्थ अगामी प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय ने उचित रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी ही इस अपराध का कर्ता है।

39. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय ने विवेचना के दौरान की गई जब्ती कार्यवाहियों की प्रकृति, ढंग और वैधता की सूक्ष्मतापूर्वक जांच की है, और जब्त किए गए प्रत्येक महत्वपूर्ण दस्तावेज के साक्ष्यिक मूल्य पर विशिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं।

40. विचारण न्यायालय ने यह पाया है कि निरीक्षक गोपाल सत्पथी (अ.सा.–41) ने दिनांक 18.04.2022 को विवेचना के दौरान ग्राम XX में मृतका के पिता के निवास का दौरा किया, जहाँ पिता ने कक्षा IX में मृतका की अध्ययन से संबंधित तीन नोटबुक(कापियाँ) प्रस्तुत कीं। इन नोटबुकों को विधि के अनुसार जब्त किया गया और मौके पर जब्ती मेमो प्र.पी.–12 तैयार किया गया, जिस पर विवेचना अधिकारी के हस्ताक्षर थे। इस बरामदगी की संपुष्टि मृतका के पिता (अ.सा.–1) के साक्ष्य से हुई है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से परिसाक्ष्य दिया कि पुलिस उनके घर आई थी, उन्होंने अपनी पुत्री के विद्यालय की नोटबुक प्रस्तुत कीं, और उन्हें मेमो प्र.पी.–12 के अधीन जब्त किया गया। उनका कथन प्रतिपरीक्षण में अडिग रहा है, जिससे जब्ती को पूर्ण विश्वसनीयता प्राप्त होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि विवेचना के दौरान, जब मृतका के विद्यालय के प्राचार्य ने मृतका द्वारा लिखी गई हिंदी और अंग्रेजी विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं प्रस्तुत कीं, तो विवेचना अधिकारी ने उन दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया और जब्ती मेमो प्र.पी.–18 तैयार किया। उक्त जब्ती की संपुष्टि शासकीय और अशासकीय, दोनों साक्षियों के सुसंगत कथनों से होती है।

42. अतः, विचारण न्यायालय ने इन जब्ती मेमो और उनके साथ जुड़े मौखिक साक्ष्यों को परिस्थितियों की श्रृंखला में सुसंगत कड़ियों के रूप में माना है, और यह उल्लेख किया है कि जब्त किए गए दस्तावेज मृतका की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, हस्तलिपि और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं, जिन्हें अभियोजन ने तुलना और मूल्यांकन के लिए आवश्यक समझा। विचारण न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि जब्ती के साक्षियों और विवेचना अधिकारी के परिसाक्ष्यों के मध्य सुसंगति, प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी बड़े विरोधाभास या चुनौती का अभाव, और यह तथ्य कि जब्तियां संबंधित साक्षियों की उपस्थिति

में खुले तौर पर की गई थीं, सामूहिक रूप से यह स्थापित करते हैं कि शैक्षणिक अभिलेखों की जब्ती विधिपूर्ण, स्वैच्छिक और विधि सम्मत साबित की गई थी।

43. इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय यह दर्शाता है कि विचारण न्यायालय ने इन जब्ती कार्यवाहियों पर उचित विचार किया है और उन्हें अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों की समग्र श्रृंखला के साबित भाग के रूप में माना है।

44. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्र.डी.–1 पर बल देते हुए, जिसे एक सुसाइड नोट बताया गया है, यह तर्क किया कि उक्त दस्तावेज बिना किसी संदेह के मृतका और अपीलार्थी के मध्य एक सम्मतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण संबंध को दर्शाता है, जिससे उन पर आरोपित किसी भी हेतुक या आपराधिक आशय का खंडन होता है।

45. इसके अतिरिक्त, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य, अर्थात् निरीक्षक गोपाल सत्पथी (अ.सा.–41); प्र.पी.–86 में निहित प्रश्नगत दस्तावेजों के राज्य परीक्षक का वैज्ञानिक अभिमत; साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन दर्ज अभियुक्त का मेमो कथन प्र.पी.–14; जब्ती मेमो प्र.पी.–15, प्र.पी.–16, प्र.पी.–11 और प्र.पी.–47; बरामदगी और अग्रेषण दस्तावेज प्र.पी.–48 और प्र.पी.–49; तथा जब्ती के साक्षियों विकेश कुमार साहू (अ.सा.–21), संतोष कुमार चंद्रा (अ.सा.–11), साथ ही अ.सा.–1 (मृतका के पिता) और अ.सा.–6 (मोबाइल फोन बेचने वाले दुकानदार) के संपुष्टिकारी साक्ष्यों से, इस न्यायालय के समक्ष एक बहुत ही स्पष्ट, सुसंगत और अटूट साक्ष्य–श्रृंखला उभरती है। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को तामील किए गए नोटिस प्र.पी.–64, विशेष न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति प्र.पी.–76, और उप–जेल द्वारा जारी पावती प्र.पी.–77 की भी सूक्ष्मतापूर्वक जांच की है, जिससे विवेचना के चरणों में प्रक्रियात्मक नियमितता और प्रामाणिकता स्थापित होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46. यह निःसंदेह साबित होता है कि मृतका की लेगिंग्स से जब्ती मेमो प्र.पी.–10 के माध्यम से बरामद सुसाइड नोट प्र.डी.–1, स्वयं मृतका द्वारा लिखा गया था। हस्तलिपि विशेषज्ञ ने प्रश्नगत लेखों (क्यू 1–क्यू 2) की तुलना मानक लेखों (एस 1–एस 81) से की और प्र.पी.–86 में यह निष्कर्ष निकाला कि वे एक ही लेखक द्वारा लिखे गए हैं। इस निष्कर्ष को गोपाल सत्पथी (अ.सा.–41) और पीड़िता के पिता (अ.सा.–1) के मौखिक साक्ष्य से और बल मिलता है, जिनमें से दोनों ने उन परिस्थितियों की पुष्टि की जिनमें नोट बरामद किया गया, सील किया गया, परीक्षण के लिए भेजा गया और पहचाना गया।

47. अभियुक्त का मेमोरेंडम प्र.पी.–14 भी महत्व रखता है क्योंकि इसके कारण मोटरसाइकिल और अन्य वस्तुओं की बरामदगी हुई। भले ही मोटरसाइकिल पहले ही जब्त कर ली गई थी, लेकिन अभियुक्त ने स्वयं विवेचना के दौरान इसके विवरण का खुलासा किया था, और उसके साथ इसके संबंध के तथ्य की संपुष्टि प्र.पी.–15 और साक्षी, पीड़िता की बहन (अ.सा.–21) द्वारा की गई है। सैमसंग कीपैड मोबाइल फोन की जब्ती, जिसे कथित तौर पर अभियुक्त द्वारा मृतका को उपहार में दिया गया था, प्र.पी.–16, बिल प्र.पी.–38, और पीड़िता की माता (अ.सा.–6) के साक्ष्य द्वारा दृढ़ता से समर्थित है,

जिन्होंने खरीद बिल और आइएमईआइ नंबर दोनों की पहचान की। गोपाल सत्पथी (अ.सा.–41) और पीड़िता के पिता (अ.सा.–1) ने आगे इस बात की संपुष्टि की कि ये वस्तुएं स्वेच्छा से प्रस्तुत की गई थीं और उचित प्रक्रिया के बाद जब्त की गई थीं।

48. इसके अतिरिक्त, दिनांक 18.05.2022 को अभियुक्त के निवास पर की गई तलाशी, हालांकि कुछ पंच साक्षियों के पक्षद्रोही के अखंडित साक्ष्य के बल पर सिद्ध होती है। अभियोजन यह सफलतापूर्वक स्थापित करने में सफल रहा कि तलाशी न्यायालय के आदेश प्र.पी.–76 के माध्यम से अधिकृत थी; नोटिस प्र.पी.–64 की विधिवत तामीली की गई थी; और संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की गई थी। इस तलाशी से, भूरे रंग के पाउडर वाला एक सफेद प्लास्टिक का पाउच, जिस पर "पाइजन" अंकित था, प्र.पी.–47 के अधीन जब्त किया गया। इसे प्र.पी.–53 के माध्यम से रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था, जमा रसीद प्र.पी.–54 जारी की गई थी, और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन प्र.पी.–85 में निर्णायक रूप से पाया गया कि वह पदार्थ एल्युमिनियम फॉस्फाइड था, जो एक घातक विषैला पदार्थ है और तुरंत मृत्यु कारित करने में सक्षम है।

49. इन दस्तावेजों, बरामदगियों, वैज्ञानिक निष्कर्षों और मौखिक साक्ष्यों का संचयी मूल्यांकन, अटकलों या वैकल्पिक परिकल्पना के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है। परिस्थितियों की श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी सुसाइड नोट की बरामदगी, फॉरेंसिक जांच के माध्यम से लेखकत्व की पुष्टि, अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा, अपराध से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी, विषैले पदार्थ की जब्ती और मिलान वाला रासायनिक विश्लेषण एक–दूसरे का पारस्परिक रूप से समर्थन और सुदृढ़ीकरण करते हैं। साथ मिलकर, वे एक ठोस और पूर्ण श्रृंखला बनाते हैं जो विशिष्ट रूप से और अचूक रूप से अभियुक्त की संलिप्तता की ओर इंगित करती है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 और द.प्र.सं. की धारा 313 की विधिक आवश्यकताओं को पूर्णतः संतुष्ट करती है, और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को दृढ़ता से न्यायोचित ठहराती है।

50. पीड़िता के पिता (अ.सा.–1) ने कथन किया कि दिनाँक 28.02.2022 की मध्यवर्ती रात को पीड़िता घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कराई गई क्योंकि पुलिस ने शुरू में 24 घंटे बीतने की शर्त के कारण इसे दर्ज करने से इनकार कर दिया था। उन्हें अभियुक्त पर संदेह था क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें पहले बताया था कि अभियुक्त ने मृतका को एक मोबाइल फोन दिया था, और इस संबंध में पंचायत बुलाई गई थी जहाँ अभियुक्त ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया था। उन्होंने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उन्होंने न तो अभियुक्त को मृतका का अपहरण करते देखा और न ही हत्या करते, और उनके आरोप पूरी तरह से संदेह पर आधारित थे। बचाव पक्ष ने उनके सामने प्र.डी.–1 प्रस्तुत किया जिसमें यह पंक्ति लिखी थी, "कृपया जीजाजी, उसकी वजह से उसकी बहन को परेशान न करें," जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी परेशानी की जानकारी नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

51. अ.सा.–2 पार्ले चंद्रा ने कथन किया कि गुमशुदगी से ठीक पहले वाली शाम को उन्होंने अभियुक्त और अन्य लोगों को गाँव के तालाब के पास देखा था और बाद में उन्हें मृतका के लापता होने के बारे में पता चला। उन्होंने कथन किया कि अभियुक्त और मृतका के मध्य प्रेम संबंध था। अ.सा.–3 सोनू चंद्रा ने अ.सा.–2 के कथन की संपुष्टि की और आगे कथन किया कि परिवार के सदस्य अभियुक्त से बात करने के कारण मृतका को डांटा करते थे, जिसके कारण एक बार उसने अपनी कलाई काट ली थी। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि अभियुक्त और मृतका के मध्य कोई शत्रुता नहीं थी।

52. मृतका की बहन, अ.सा.–4 ने भी इसी प्रकार कथन किया कि अभियुक्त और मृतका के मध्य प्रेम संबंध था। उसने अपने पुलिस कथन (प्र.डी.–3) में कई महत्वपूर्ण लोपों को स्वीकार किया और यह माना कि उसने अभियुक्त को मृतका का अपहरण करते, विष देते, गला घोंटते या बलात्संग करते हुए नहीं देखा था। उसने आगे यह स्वीकार किया कि उसके आरोप पूरी तरह से संदेह पर आधारित थे।

53. अवधराम चंद्रा (अ.सा.–5) का परिसाक्ष्य भी इसी प्रकार का था, जिन्होंने दावा किया कि एक पंचायत बुलाई गई थी क्योंकि परिवार के सदस्यों द्वारा मना किए जाने के बावजूद मृतका और अभियुक्त मिला करते थे। उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि न्यायालय में दिए गए उनके अभिसाक्ष्य के कई तथ्य उनके पुलिस कथन (प्र.डी.–4) में नहीं थे और उन्होंने अभियुक्त को कोई अपराध करते हुए नहीं देखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

54. मृतका की माता (अ.सा.–6) ने कथन किया कि अभियुक्त और मृतका दोनों के मध्य प्रेम संबंध था और अभियुक्त ने पहले उनकी पुत्री को एक मोबाइल फोन दिया था। उन्होंने भी अभियुक्त को मृतका का अपहरण करते या उसकी हत्या करते हुए नहीं देखा।

55. एक अन्य बहन, अ.सा.–7 ने कथन किया कि उन्हें परिवार के सदस्यों से पता चला था कि मृतका अभियुक्त के साथ प्रेम संबंध में थी और उन्होंने एक बार सरपंच को सूचित किया था कि अभियुक्त मृतका को फोन करता था और धमकी देता था। उन्होंने स्वीकार किया कि ये तथ्य उनके पुलिस कथन (प्र.डी.–5) में नहीं थे और आगे यह भी माना कि उन्होंने अभियुक्त को विष देते, गला घोंटते या मृतका के साथ बलात्संग करते हुए नहीं देखा था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके आरोप संदेह और पुलिस से मिली जानकारी पर आधारित थे।

56. इसी प्रकार, अ.सा.–8, जो मृतका के जीजा हैं, ने बताया कि मृतका ने अपनी गुमशुदगी से कुछ समय पहले फोन पर उनसे स्वीकार किया था कि वह अभियुक्त से बात कर रही थी और वह इस संबंध को समाप्त करना चाहती थी। उन्होंने भी अपने पुलिस कथन (प्र.डी.–6) में कई लोपों की पहचान की। उन्होंने स्वीकार किया कि जब तक मृतका जीवित थी, तब तक उन्होंने अभियुक्त द्वारा कथित तंग करने या धमकियों की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। उन्होंने आगे यह भी माना कि उन्होंने अभियुक्त को मृतका का अपहरण करते, विष देते, बलात्संग करते या उसकी हत्या करते हुए नहीं देखा था और उनके आरोप केवल संदेह पर आधारित थे।

57. अपराध के पीछे की हेतुक को साबित करने के लिए, अभियोजन ने मृतका के परिवार के करीबी सदस्यों, विशेष रूप से अ.सा.–7 (मृतका की बड़ी बहन), अ.सा.–21 (मृतका की एक अन्य बहन) और अ.सा.–38 (मृतका की दादी) के साक्ष्यों का व्यापक रूप से अवलंब लिया है। उनके अभिसाक्ष्यों को जब संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है, तो वे अभियुक्त जवाहर चंद्रा द्वारा मृतका को निरंतर तंग किए जाने की एक सुसंगत और विश्वसनीय तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। बसंती चंद्रा (अ.सा.–7) और पीड़िता की बहन (अ.सा.–21) ने विशेष रूप से कथन किया है कि मृतका ने कई अवसरों पर उन्हें विश्वास में लेकर बताया था कि अभियुक्त उस पर मिलने और बातचीत करने के लिए बार–बार दबाव बना रहा था, और यदि वह इनकार करती थी तो वह उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था। अ.सा.–21 ने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका ने उसे बताया था कि अभियुक्त ने उसे स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि यदि उसने उससे बात करना या मिलना बंद कर दिया, तो वह उसे मार डालेगा। उक्त धमकी, उसी व्यक्ति की ओर से आने पर जिसके साथ उसके कभी संबंध रहे थे, मृतका के मन में काफी भय और भावनात्मक उथल–पुथल का कारण बनी थी।

58. मृतका की दादी, अ.सा.–38, एक घटना का वर्णन करते हुए इन दावों की संपुष्टि करती हैं, जिसमें उन्होंने सुबह के समय अपने घर के एक कमरे के भीतर अभियुक्त को पाया था, जिससे मृतका स्पष्ट रूप से व्यथित हो गई थी। इन साक्षियों का परिसाक्ष्य, जो सभी स्वाभाविक और सक्षम साक्षी हैं, यह भी दर्शाता है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए निरंतर दबाव, जबरदस्ती और भावनात्मक संकट के कारण, मृतका ने घटना से कुछ माह पूर्व स्वयं को हानि पहुँचाने का प्रयत्न भी किया था, जो अभियुक्त के आचरण की गंभीरता और उस मनोवैज्ञानिक दबाव को और अधिक प्रदर्शित करता है जिसके अधीन मृतका रह रही थी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

59. इन साक्ष्यों का सामूहिक प्रभाव यह स्थापित करता है कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले की अवधि में, मृतका को अभियुक्त द्वारा लगातार प्रताड़ित, डराया–धमकाया और विवश किया जा रहा था, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ये बार–बार दी गई धमकियाँ और तंग किए जाने के कृत्य अभियुक्त द्वारा अपराध करने के लिए एक स्पष्ट और ठोस हेतुक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार, अभियोजन विश्वसनीय, सुसंगत और अखंडित साक्ष्य के माध्यम से, मृतका की मृत्यु कारित करने के लिए अभियुक्त की ओर से एक मजबूत और संन्निकट हेतुक को संतोषजनक रूप से स्थापित करने में सफल रहा है।

60. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन केस लॉ का अवलंब लिया गया है, अर्थात् रतन सिंह (पूर्वोक्त) और विनोद कुमार (पूर्वोक्त), वे वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में अपीलार्थी के लिए सहायक नहीं हैं। दोनों निर्णय पूरी तरह से अलग तथ्यात्मक परिस्थितियों पर आधारित हैं, जिनमें अभियोजन के साक्ष्य असंगत पाए गए थे, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला अपूर्ण थी, और अभियुक्त के आचरण से कोई संन्निकट हेतुक स्थापित नहीं हुई थी। इसके विपरीत, वर्तमान प्रकरण साक्ष्यों के एक

सुसंगत और ठोस आधार पर टिका है, जिसमें महत्वपूर्ण साक्षियों के विश्वसनीय परिसाक्ष्य, संपुष्टिकारी परिस्थितियाँ और सुस्थापित हेतुक शामिल है, जो सभी मिलकर एक अटूट श्रृंखला निर्मित करते हैं जो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के दोष की ओर ले जाती है। अतः, उन निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को यहाँ यंत्रवत लागू नहीं किया जा सकता है और वे तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

61. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के पश्चात और अभिलेख पर लाए गए संपूर्ण साक्ष्यों के सूक्ष्म पुनर्मूल्यांकन पर, इस न्यायालय का यह सुदृढ़ मत है कि अभियोजन परिस्थितियों की एक पूर्ण और सुसंगत श्रृंखला के माध्यम से यह स्थापित करने में सफल रहा है कि अपीलार्थी ही वास्तव में इस अपराध का कर्ता है। अ.सा.–7, अ.सा.–21 और अ.सा.–38 के परिसाक्ष्य निरंतर यह प्रकट करते हैं कि मृतका को अपीलार्थी द्वारा लगातार तंग, प्रपीड़न और धमकी दिया गया था, और उसने अपीलार्थी द्वारा दी गई धमकियों के कारण अपनी सुरक्षा के प्रति बार–बार डर व्यक्त किया था। एक असामान्य समय पर मृतका के घर के भीतर अपीलार्थी की उपस्थिति, मृतका की इच्छा के विरुद्ध संपर्क बनाए रखने के लिए उसका बार–बार आग्रह, और अपीलार्थी द्वारा डाले गए भावनात्मक दबाव के कारण मृतका द्वारा पूर्व में स्वयं को हानि पहुँचाने का प्रयत्न, सामूहिक रूप से एक मजबूत और संन्निकट हेतुक स्थापित करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

62. बचाव पक्ष का प्र.डी.–1 का अवलंब लेना, जिसे एक सुसाइड नोट कहा गया है, अभियोजन के प्रकरण को कमजोर नहीं करता है। केवल इसलिए कि पक्षकारों के मध्य कभी संबंध रहे होंगे, बाद की धमकियों, प्रपीड़न और तनावपूर्ण संबंधों के अत्यधिक साक्ष्यों को नकारा नहीं जा सकता। जब महत्वपूर्ण साक्षियों के परिसाक्ष्य, स्थापित हेतुक, आसपास की परिस्थितियों और अपीलार्थी के आचरण का उनके संचयी प्रभाव में परीक्षण किया जाता है, तो वे स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित करते हैं और उसके द्वारा अपराध किए जाने के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना के साथ असंगत हैं।

63. अभियोजन साक्षियों के कथनों पर समग्र रुप से विचार करते हुए और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपने विरुद्ध साबित हुई अभियोगात्मक परिस्थितियों का उत्तर देने के लिए द.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन अपने परीक्षण में कोई भी उचित या संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। अ.सा.–7, अ.सा.–21 और अ.सा.–38 के साक्ष्य, अपीलार्थी के आचरण से प्रतिबिंबित होने वाली आसपास की परिस्थितियों के साथ मिलकर, स्पष्ट रूप से यह स्थापित करते हैं कि मृतका को अपीलार्थी द्वारा लगातार धमकियाँ दी गई थी, प्रपीड़न और तंग किया गया था। उनके साक्ष्य सुसंगत, स्वाभाविक और विश्वसनीय हैं, और अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि इन स्वतंत्र साक्षियों के पास अपीलार्थी को झूठा फँसाने का कोई कारण था। अतः, उनके कथन पूर्ण विश्वास प्रेरित करते हैं और स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

64. अभियोजन द्वारा साबित की गई परिस्थितियाँ अर्थात, अपीलार्थी और मृतका के मध्य तनावपूर्ण संबंध, अपीलार्थी द्वारा दी गई बार–बार धमकियाँ, घटना से ठीक पूर्व अपीलार्थी की उपस्थिति और

आचरण, तथा अपीलार्थी के कारण भय व्यक्त करने वाले मृतका के पूर्व कथन एक पूर्ण और अटूट श्रृंखला निर्मित करते हैं जो अचूक रूप से अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित करते हैं। बचाव पक्ष का प्र.डी.–1 (एक कथित सुसाइड नोट) का अवलंब लेना किसी भी प्रकार से अभियोजन के प्रकरण को कमजोर नहीं करता है, विशेष रूप से तब जब अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह स्थापित करते हैं कि उक्त नोट के कथित रूप से लिखे जाने के समय के बाद अपीलार्थी और मृतका के मध्य संबंध काफी खराब हो गए थे, और अपीलार्थी लगातार मृतका पर दबाव बना रहा था और उसे तंग कर रहा था। अभियोजन का पक्ष इस तथ्य से और अधिक मजबूत होता है कि अपीलार्थी ने मृतका की नृशंस हत्या करने के बाद, उसे विष का सेवन करने के लिए विवश कर या उसे विष का सेवन कराकर और उसके बाद उसकी लेगिंग्स के अंदर कथित सुसाइड नोट रखकर एक झूठा बचाव बनाने का प्रयत्न किया, ताकि विवेचना और न्यायालय को गुमराह किया जा सके।

65. बचाव पक्ष द्वारा दो मेमोरेंडम कथनों (प्र.पी.–14 और प्र.पी.–48) में बताई गई कथित विसंगतियाँ महत्त्वहीन हैं और किसी भी तरह से अभियोजन के मुख्य प्रकरण को प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि मुख्य अभियोगात्मक परिस्थितियाँ ठोस चक्षुदर्शी और परिस्थितियों के साक्ष्य के माध्यम से दृढ़ता से और स्वतंत्र रूप से स्थापित हैं। इसी प्रकार, लीला बाई चंद्रा (ब.सा.–1) का परिसाक्ष्य विश्वास प्रेरित करने में असफल रहता है, क्योंकि इसे किसी भी समकालीन सामग्री का समर्थन प्राप्त नहीं है, और यह सुस्थापित अभियोजन की कहानी में कोई सेंध लगाने में असफल रहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

66. जहाँ तक शवपरीक्षण प्रतिवेदन और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निष्कर्षों के मध्य कथित विसंगति के संबंध में बचाव पक्ष के तर्क का प्रश्न है, अभियोजन द्वारा इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। शव–परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक ने निश्चित रूप से स्पष्ट किया है कि चिकित्सा निष्कर्ष पूरी तरह से अभियोजन के संस्करण के अनुरूप हैं और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संभावना को खारिज नहीं करते हैं। विचारण न्यायालय ने इस पहलू पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया है और उचित निष्कर्ष निकाला है कि चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्ष्य, जब चक्षुदर्शी साक्ष्य और साबित परिस्थितियों के साथ संयुक्त रूप से पढ़े जाते हैं, तो इस अचूक निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि मृतका की मृत्यु आत्महत्या से नहीं हुई थी, बल्कि उसे अपीलार्थी द्वारा मानव वध के कृत्यों का शिकार बनाया गया था, जिसने उसके बाद अपराध को आत्महत्या का रूप देने का प्रयत्न किया।

67.इस स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि विचारण न्यायालय द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सीय अभिमत को स्वीकार किए जाने में अपीलीय न्यायालय का हस्तक्षेप केवल उन्हीं अपवादस्वरूप परिस्थितियों में उचित होता है, जब निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत अथवा प्रत्यक्ष रूप से असमर्थनीय हों, हमें वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई दुर्बलता नहीं मिली है। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी, जो हाथों से गला घोंटने से होने वाले श्वासावरोध के कारण हुई थी, ठोस और प्रभावशाली चिकित्सीय साक्ष्य पर आधारित था और इसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

68. साथ ही, यह भी अवधारित किया जाना आवश्यक है कि शवपरीक्षण के निष्कर्षों और डॉ. किरण बिंझवार (अ.सा.–30) एवं डॉ. पी. सिंह (अ.सा.–32) के अभिसाक्ष्यों से उभरने वाले तथ्यात्मक परिदृश्य निर्विवाद रूप से यह दर्शाते हैं कि पीड़िता, जो लगभग 12 वर्ष और 7 माह की एक अवयस्क बालिका थी और कक्षा नवमीं की छात्रा थी, की मृत्यु से पूर्व उसके साथ क्रूर और बलपूर्वक लैंगिक हमला किया गया था। चिकित्सकों ने स्पष्ट रूप से अभिमत दिया है कि पीड़िता के निजी अंगों पर गंभीर चोटें आई थीं, जिनमें व्यापक योनि सूजन, गहरे घाव और रक्त के थक्कों के साथ योनि मार्ग का फटना शामिल था ऐसी चोटें जो दुर्घटनाजन्य या मरणोपरांत परिवर्तनों के साथ पूरी तरह से असंगत हैं और चिकित्सकीय रूप से हिंसक प्रवेशन हमले की विशिष्ट पहचान हैं। ये चोटें, जब गर्दन पर दबावजन्य चोट के पैथोलॉजिकल संकेतों, जैसे कि प्लैटिस्मा रक्तस्राव, लैरिंजियल संरचनाओं के अस्थिभंग, वक्षीय अंगों का कन्जेसन और मस्तिष्क के नीलांगू के साथ पढ़ा जाता है, तो वे परिस्थितियों की एक सुसंगत और अटूट श्रृंखला प्रस्तुत करती हैं जो निर्णायक रूप से एक जघन्य लैंगिक और मानव वध अपराध की ओर इंगित करती हैं।

69. इस परिप्रेक्ष्य में, हम यह उल्लेख करने हेतु विवश हैं कि विचारण न्यायालय ने, प्रबल चिकित्सीय और परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने के बावजूद, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364, 376(3) के साथ–साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अधीन गंभीर आरोपों से दोषमुक्त करने में त्रुटि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

70. यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने गंभीर निष्कर्षों के बावजूद, राज्य ने भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अधीन अपीलार्थी की दोषमुक्ति को चुनौती देने वाली कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। यद्यपि, राज्य की अपील की अनुपस्थिति चिकित्सीय साक्ष्य की गंभीरता या एक बालक के विरुद्ध किए गए अपराध की गंभीरता को कम नहीं करती है। अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री संदेह की कोई संभावना नहीं छोड़ती है कि पीड़िता का अपहरण किया गया था, अत्यंत बर्बर तरीके से उसका लैंगिक हमला किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, और सुसंगत प्रावधानों के अधीन दोषसिद्धि देने में विचारण न्यायालय की असफलता उन बिंदुओं पर साक्ष्य के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन को दर्शाती है।

71. इस न्यायालय के सुविचारित अभिमत में, अभियोजन द्वारा स्थापित परिस्थितियाँ अपीलार्थी के दोष के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना के साथ असंगत हैं, और विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का निष्कर्ष उचित रुप से निकाला है।

72. इन कारणों से, यह स्पष्ट और विश्वसनीय रूप से साबित होता है कि अपीलार्थी ही इस अपराध का कर्ता है, और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में उसकी असफलता अभियोजन के प्रकरण को और मजबूत करती है। अतः, हमारा सुविचारित अभिमत यह है कि अभियोजन ने अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है और विचारण न्यायालय ने

अभियुक्त/अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराधों के लिए उचित रुप से दोषसिद्ध किया है। हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में ऐसी कोई अवैधता या दोष नहीं पाते हैं जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अतः, यह दाण्डिक अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और एतदद्वारा **खारिज** की जाती है।

73. अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि अपीलार्थी दिनांक 05.03.2022 से जेल में निरुद्ध है; वह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित दण्ड भुगतेगा।

74. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक, जहाँ अपीलार्थी अपने कारावास का दण्ड भुगत रहा है,को प्रेषित की जाए ताकि वह इसे अपीलार्थी पर तामील कराए और उसे सूचित करे कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है।

75. इस निर्णय की सत्यापित प्रति मूल अभिलेख के साथ आवश्यक सूचना और अनुपालन हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(बिभु दत्त गुरु)
न्यायाधीश

सही/–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधिपति

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur